



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Speed Post

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली-110016

Kendriya Vidyalaya Sangathan (Hqrs.),
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi – 110016

दूरभाष: 26855532, फैक्स :26514179

ईमेल: sopickvs@gmail.com.

वेबसाईट: www.kvsangathan.nic.in

फा.11011/6-4/2017-केविसं (मु.)/पीआईसी/ 17119

Dated: 21.03.2018

विषय:- सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से अधिकतम प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के संबंध में।

कृपया इस मुख्यालय के पत्र संख्या फा.11011/6-4/2017-केविसं (मु.)/पीआईसी/16888
दिनांक:21.12.2017 के पैरा 2 में 02 जनवरी 2012 की एवज में 02 जनवरी 2018 पढ़ा जाये।

lch
20-03-2018
(नीलम)

सहायक आयुक्त (प्रशासन)के.सू.आ./ज.सू.प्र.

संलग्नक: यथोपरि ।

वितरण:-

1. सभी अनुभाग अधिकारी, केविसं (मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
2. सभी सहायक आयुक्त/उपायुक्त, केविसं /जसूअ, क्षेत्रीय कार्यालयों व आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपरोक्त के अनुपालन हेतु।
3. सभी उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय एवं सभी निदेशक आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् प्रथम अपीलीय अधिकारी, सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपरोक्त के अनुपालन हेतु।
4. सभी केजसूअ एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केविसं(मु.), को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
5. उपायुक्त(शैक्षिक)(ईडीपी), केविसं(मु.) को सूचनार्थ एवं केविसं की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. कमिश्नर के निजी सचिव, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
7. अपर आयुक्त(शैक्षिक) के निजी सचिव, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।

21/3/18

lch



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Speed Post
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली-110016

Kendriya Vidyalaya Sangathan (Hqrs.),
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi – 110016

दूरभाष: 26855532, फैक्स :26514179

ईमेल: sopiekvs@gmail.com.

वेबसाइट: www.kvsangathan.nic.in

फा.11011/6-4/2017-केविसं (मु.)/पीआईसी/ 168888

Dated: 21.12.2017

विषय:- सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से अधिकतम प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के संबंध में।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 4 (1) (ए) और (बी) स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड की सूचीबद्ध और अनुक्रमण के बारे में बताता है, इसका कम्प्यूटरीकरण और संगठन, कार्यो और कर्तव्यों के विवरण, उसके अधिकार और कर्तव्यों का प्रकाशन अधिकारी और कर्मचारी, पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाया गया प्रक्रिया और इसके कार्यो के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड आदि। अधिनियम की धारा 4 (1) की एक प्रतिलिपि संलग्न है। इसलिए सार्वजनिक सूचना में सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से अधिकतम प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए धारा 4 (1) (ए) और (बी) में शर्तों के प्रकाश में सार्वजनिक जानकारी रखने के लिए सभी ऐसी जानकारी को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट और नियमित आधार पर अपडेट की गई जानकारी।

उपरोक्त के मद्देनजर केविसं (मुख्यालय) / क्षेत्रीय कार्यालय और आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में काम कर रहे सभी अनुभाग अधिकारी / शाखा अधिकारी अनुभाग / शाखा / विभाग द्वारा किए गए कार्यो के संबंध में अद्यतन जानकारी की एक सॉफ्ट और साथ ही हार्ड कॉपी उपलब्ध कराते हैं। वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए धारा 4 (1) (ए) और (बी) से उपायुक्त (शैक्षिक) (ईडीपी) की शर्तों के अनुच्छेद 2 जनवरी 2012 या उससे पहले। जानकारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भेजी जानी चाहिए।

केविसं (मुख्यालय) की वेबसाइट पर सूचना के प्रकार एवं प्रवृत्ति की जानकारी के मार्गदर्शन के लिए अवलोकन किया जा सकता है।

Ms
21-12-2017
(नीलम)

सहायक आयुक्त (प्रशासन)के.सू.आ./ज.सू.प्र.

संलग्नक: यथोपरि।

वितरण:-

1. सभी अनुभाग अधिकारी, केविसं (मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
2. सभी सहायक आयुक्त/उपायुक्त, केविसं /जसूअ, क्षेत्रीय कार्यालयों व आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपरोक्त के अनुपालन हेतु।
3. सभी उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय एवं सभी निदेशक आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् प्रथम अपीलीय अधिकारी, सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपरोक्त के अनुपालन हेतु।
4. सभी केजसूअ एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केविसं(मु.), को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
5. उपायुक्त(शैक्षिक)(ईडीपी), केविसं(मु.) को सूचनार्थ एवं केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. कमिश्नर के निजी सचिव, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
7. अपर आयुक्त(शैक्षिक) के निजी सचिव, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।

Ms
21/12/17